



2026:AHC-LKO:7582-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ

रिट - सी संख्या - 12453 सन 2025

मुन्ना प्रसाद उर्फ मुन्ना लाल

..... याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख/अपर सचिव राजस्व लखनऊ एवं
10 अन्य

.....प्रतिवादी(ओं)

याचिकाकर्ता(ओं) के अधिवक्ता	:	ओंकार नाथ तिवारी, अखंड प्रताप वर्मा, माया राम यादव
प्रतिवादी(ओं) के अधिवक्ता	:	मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मोहन सिंह

न्यायालय संख्या - 1

माननीय न्यायमूर्ति राजन राँय
माननीय न्यायमूर्ति अब्धेश कुमार चौधरी

1. प्रतिवादी संख्या 8 की ओर से अधिवक्ता श्री विकास पांडे द्वारा आज दाखिल वकालतनामा अभिलेख पर ले लिया गया है।
2. दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया।
3. यह याचिका निम्नलिखित मुख्य प्रार्थनाओं के लिए दायर की गई है:-

"(i) परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश प्रतिवादियों को याचिकाकर्ता की भूमिधारी भूमि अर्थात् मलिकपुर छिताउना जलपुर, जिला - अंबेडकर नगर में स्थित भूखंड संख्या 248 और 246 में, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 24 के तहत सीमांकन लंबित रहने के दौरान, सड़क का निर्माण न करने के लिए जारी करें,"

(ii) परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश प्रतिवादियों को उत्तर प्रदेश

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

राजस्व संहिता 2006 की धारा 24 के तहत सीमांकन की कार्यवाही को शीघ्रता से पूरा करने का जारी करें, मामला संख्या रिट-सी 3345/2025 आवंटित करना।”

4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता न्यायालय को यह समझाने में असमर्थ रहे हैं कि याचिकाकर्ता मुन्ना प्रसाद उर्फ मुन्ना लाल का गाटा संख्या 248 पर कोई अधिकार या हित है। इससे संबंधित खतौनी संलग्न है, जिस पर मुन्ना प्रसाद उर्फ मुन्ना लाल का नाम नहीं है। केवल गाटा संख्या 246 से संबंधित खतौनी पर ही याचिकाकर्ता का नाम अन्य सह-खातेदारों के साथ अंकित है। राजस्व मानचित्र अभिलेख में है और स्पष्ट रूप से चक मार्ग गाटा संख्या 246 के निकट नहीं है, हालांकि यह गाटा संख्या 248 के निकट है। चक मार्ग गाटा संख्या 223 से होकर गुजरता है।
5. अतः, हमें याचिकाकर्ता के अनुरोध पर इस मामले में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं दिखता। यदि याचिकाकर्ता के पास कोई कारण और कानूनी अधिकार है, तो वह अन्य उपाय अपना सकता है।
6. तदनुसार, याचिकाकर्ता का मामला निस्तारित किया जाता है।

[न्यायमूर्ति अब्धेश कुमार चौधरी]

[न्यायमूर्ति राजन राय]

फरवरी 2, 2026

अनुज सिंह

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।